संख्या-5/2026/163/सामान्य/47/का-4-2026

प्रेषक,

एस0 पी0 गोयल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अध्यक्ष, उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
2. अध्यक्ष, उ0 प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ ।
3. अध्यक्ष, उ0 प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।
4. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ।
5. अध्यक्ष, उ0 प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज।
6. अध्यक्ष, सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल, लखनऊ।
7. अध्यक्ष, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
8. अध्यक्ष, उ0 प्र0 विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षक भर्ती बोर्ड, लखनऊ।
9. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, गृह/ उच्च शिक्षा/ ऊर्जा/ सहकारिता/ चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/ चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 15 जून, 2026

विषय- प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोग/ चयन बोर्ड की जनपदीय कोषागारों में रक्षित सामग्री का निस्तारण।

महोदया/ महोदय,

प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोग/ चयन बोर्ड की चयन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण ढंग से कराये जाने सम्बन्धी कार्मिक अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-6/2024/148/सामान्य/47/का-4-2024, दिनांक 19.06.2024 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. उल्लेखनीय है कि विभिन्न रिक्रूटमेंट एजेंसीज द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं से सम्बन्धित गोपनीय सामग्री यथा प्रश्नपत्र तथा Optical Mark Recognition (ओ0एम0आर0) शीट्स आदि के मल्टीपल सैट परीक्षा से पूर्व परीक्षा के आयोजन से सम्बन्धित जनपदों के जनपदीय कोषागार में रक्षित किए जाते हैं। परीक्षा के दिन प्रयुक्त होने वाले चयनित प्रश्न-पत्र के सैट को विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर उपलब्ध कराते हुए परीक्षा आयोजित की जाती है तथा परीक्षा की समाप्ति के उपरान्त परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों की ओ0एम0आर0 शीट्स की कोषागार प्रतियाँ भी जनपदीय कोषागार के डबल लॉक में रक्षित की जाती हैं। विभिन्न चयन आयोग/ बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अप्रयुक्त प्रश्न-पत्र तथा ओ0एम0आर0 शीट्स आदि के सैट सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से निकालकर उनका यथोचित निस्तारण किया जाना अपेक्षित होता है।

https://shasanadesh.up.gov.in/

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3. यह देखा जा रहा है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदीय कोषागारों में विभिन्न चयन आयोग/बोर्ड द्वारा इस सामग्री के समयान्तर्गत निस्तारण में रूचि नहीं ली जा रही है, जिससे जनपदीय कोषागारों में बहुत अधिक संख्या में परीक्षा सामग्री से सम्बन्धित Trunk जमा हैं एवं अन्य महत्वपूर्ण सामग्री हेतु कोषागारों में स्थान का अभाव उत्पन्न हो रहा है। कई बार तो ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हुई है कि कई चयन आयोग/बोर्ड की परीक्षा सामग्री रक्षित होने के कारण अन्य चयन आयोग/बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा की गोपनीय सामग्री हेतु अस्थायी डबल लॉक कोषागार की व्यवस्था करनी पड़ी है।

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परीक्षा के आयोजन के उपरान्त 07 दिवस के अन्दर अप्रयुक्त प्रश्न-पत्र तथा ओ0एम0आर0 शीट्स आदि के सैट तथा परीक्षा से सम्बन्धित अंतिम चयन परिणाम घोषित किये जाने के 07 दिवस के अन्दर अभ्यर्थियों की ओ0एम0आर0 शीट्स की कोषागार प्रतियों को जनपदीय कोषागार से निकलवाकर उनका नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। अद्यतन जो परीक्षाएँ आयोजित की जा चुकी हैं अथवा जिन परीक्षाओं के अन्तिम चयन परिणाम घोषित कर दिये गये हैं, उनसे सम्बन्धित अप्रयुक्त प्रश्न-पत्र तथा ओ0एम0आर0 शीट्स आदि के सैट तथा अभ्यर्थियों की ओ0एम0आर0 शीट्स की कोषागार प्रतियों का नियमानुसार निस्तारण भी 07 दिवस के अन्दर प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

एस0पी0 गोयल
मुख्य सचिव।

संख्या-5/2026/163(1)/सामान्य/47/का-4-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
एम0 देवराज
प्रमुख सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।